दांडिक प्रकरण क्रमांक–6699/2018
पक्षकार शासन वि० दुर्गेश शर्मा वगैरह

न्यायालय :– कु0 आकांक्षा बेक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0)

Form-D

Date of Judgment **-23.05.2026** Criminal Case No-**6699/2018** FIR No **221/**2018 of Police Station-**D.D. nagar,** Distt-**Raipur (C.G.)**

Complainant	छत्तीसगढ़ राज्य शासन आरक्षी केन्द्र–डी०डी० नगर, जिला–रायपुर छ.ग.
REPRESENTED BY	सुश्री ममता चंदेल ए०डी०पी०ओ०।
ACCUSED	01. दुर्गेश शर्मा, पिता–जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र–28 साल, साकिन– ब्रम्हपुरी बुढेश्वर मंदिर के पीछे, थाना–पुरानी बस्ती, रायपुर छ०ग० 02. सोनल शर्मा, पिता– जय शर्मा, उम्र–31 साल, साकिन बेमेतरा ब्रम्हाणपारा, वार्ड क्रमांक 7 भोहभटटा रोड थाना बेमेतरा, जिला–बेमेतरा, हाल पता सुंदर गर मिलेनियम चौक के पास, थाना डी.डी. नगर रायपुर छ०ग० 03. सीमांत दीक्षित, पिता राधाराम दीक्षित, उम्र– 40 साल, साकिन डगनिया शिक्षक कॉलोनी सारभई नर्सिंग होम के पीछे सुंदर नगर गेट के सामने, थाना–डी०डी० नगर, रायपुर छ०ग०
REPRESENTED BY	श्री बादल सुराना अधिवक्ता।

Form-E

Date of offense	21.07.2018
Date of FIR	21.07.2018
Date of Charge Sheet	05.11.2018

Date of Farming Charges	12.09.2024
Date of Commencement of Evidence	28.09.2024
Date of Which judgement is reserved	**23.05.2026**
Date of the judgement	**23.05.2026**
Date of the sentencing Order, If any	-

Accused Details

Rank of Accused	Name of Accused	Date of arrest	Date of release Of bail	Offence Charged with	Whether acquitted or Convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trail for purpose of section 428 Cr.P.C.
01	दुर्गेश शर्मा, पिता–जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र–28 साल, साकिन–ब्रम्हपुरी बुढेश्वर मंदिर के पीछे, थाना–पुरानी बस्ती, रायपुर छ०ग०	27.07.2018	27.07.20 18	भारतीय दंड संहिता की धारा 324	दोषमुक्त		-
02	सोनल शर्मा, पिता– जय शर्मा, उम्र–31 साल, साकिन बेमेतरा ब्रम्हणपारा, वार्ड क्रमांक 7 भोहभटटा रोड थाना बेमेतरा, जिला–बेमेतरा, हाल पता सुंदर गर मिलेनियम चौक के पास, थाना डीडी	27.07.2018	27.07.2018	भारतीय दंड संहिता की धारा 324	दोषमुक्त		-

	नगर रायपुर छ०ग०						
	03. सीमांत दीक्षित, पिता राधाराम दीक्षत, उम्र–40 साल, साकिन डगनिया शिक्षक कॉलोनी सारभई नर्सिंग होम के पीछे सुंदर नगर गेट के सामने, थाना–डी०डी० नगर, रायपुर छ०ग०	27.07.2018	27.07.2018	भारतीय दंड संहिता की धारा 324	दोषमुक्त		-

Form-F

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of advocates	1
3	Charge	4
4	Admitted Facts	4
5	Prosecution Story	4-5
6	Reasons of findings	6-9
7	Sentence	-
8	Period of Detention & Set-off	-
09	Disposal of Property	10
10	Order of Compensation	-
11	Certificate Under Section 428 Cr.p.c.	11
12	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of fine)	-
13	Copy of Judgment	1-11

//निर्णय//
(आज दिनांक 23.05.2026 को घोषित)

01– अभियुक्तगण **दुर्गेश शर्मा, सीमांत दीक्षित एवं सोनल शर्मा** के विरूद्ध **भारतीय दंड संहिता की धारा 324** के अंतर्गत यह आरोप है कि **घटना 21.07.2018 को समय 19.00 बजे स्थान सुंदर नगर टोल प्लाजा के पास सर्विस रोड रायपुर** क्षेत्रांतर्गत में प्रार्थी शशि कुमार राय को हाथ में पहने कडे से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित किया ।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि दिनांक 12.05.2026 को प्रार्थी व अभियुक्तगण के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा होने से अभियुक्त को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 294, 506, 323, सहपठित धारा 34** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जा चुका है। अतः प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध **भारतीय न्याय संहिता की धारा 324** अशमनीय प्रकृति का होने से मात्र इसी धारा के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय घोषित किया जा रहा है।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक घटना 21.07.18 को प्रार्थी अपन से अपने दोस्त निलेश कुमार पाल के साथ एम.एम. आई. अस्पताल गये थे वापस आ रहे शाम 07.00 करीबन सुन्दर नगर टोल प्लाजा रिंग रोड 01 सर्विस रोड के पास पहुंचे थे कि पीठ तरफ से मोटर सायकल रॉयल इनफिल्ड बुलेट क्रमाक CG–04–LQ–7550 का चालक जिसमें तीन लड़के बैठे थे ओवर टेक कर प्रार्थी के कार सामने अपने मोटर सायकल बुलेट को टिका कर सामने खड़ा कर रोक दिया और बोले मादर चोद, बहनचोद तू कार कैसे चलाता बाहर निकल कहकर गन्दी–गन्दी गलियां दिया । प्रार्थी द्वारा कार से

बाहर निकल कर गाली देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ–मुक्का एवं हाथ में पहने कढे से मारपीट करने से प्रार्थी के सिर में चेहरे में चोट लगा है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया गया। प्रार्थी के चोटो का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया जिसमे डॉक्टर द्वारा हार्ड शॉरफ आपजेक्ट साधारण चोट का आना लेख किया गया। प्रकरण में धारा 324 दण्ड प्रक्रिया संहिता जोड़ी गई। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया जाकर प्रार्थी एंव गवाहो के कथन लेखबद्ध किये गये विवेचना पर दौरान आरोपी वाहन बुलेट क्रमांक CG–04–LQ–7550 का पता तलाश किया गया । आरोपी दुर्गेश शर्मा, सोनल शर्मा एवं सीमांत दीक्षित को पकड कर से पुछताछ किया गया जो घटना घटित करना स्वीकार किये । आरोपी का पहचान कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष कराया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा आरोपी को देख कर सही पहचान किया। आरोपी दुर्गेश शर्मा के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेट क्रमाक CG–04–LQ–7550 मय कागजात आर. सी. बुक एंव आरोपी सोनल शर्मा के द्वारा हाथ में पहने कढा को पेश करने पर समक्ष गवाहन मुताबिक जप्तीपत्रक जप्त किया गया की आरोपीयो द्वारा अपराध कारित करना सबूत पाये जाने से विधीवत गिरफतार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया की सम्पूर्ण विवेचना साक्षय सकंलन पर आरोपियान 01. दुर्गेश शर्मा उर्फ सोनू पिता जगदीश प्रसाद शर्मा उम्र 28 साल साकिन ब्रम्हपुरी बुढेश्वर मंदिर के पीछे थाना पुरानीबस्ती रायपुर छ.ग. । 02 सोनल शर्मा पिता जय शर्मा उम्र 31 साल साकिन बेमेतरा ब्रम्हणपारा वार्ड क्र 7 भोहभटटा रोड थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा हालपता सुन्दर नगर मिलेनियम चौक के पास थाना डी डी नगर रायपुर छ.ग. । 03 सीमांत दिक्षित पिता राधाराम दिक्षित उम्र 40 साल साकिन डगनिया शिक्षक कालोनी सारभाई नर्सिंग होम के पीछे सुन्दर नगर गेट के सामने थाना डी डी नगर रायपुर छ.ग. के विरूध अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 119/ 18 को तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

04– प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः–

01. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 21.07.2018 को समय 19.00 बजे स्थान सुंदर नगर टोल प्लाजा के पास सर्विस रोड रायपुर क्षेत्रांतर्गत में प्रार्थी शशि कुमार राय को हाथ में पहने कडे से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

//साक्ष्य विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष//

05– प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रार्थी निलेश कुमार पाल **(अ०सा०–01)** एवं शशि कुमार राय **(अ०सा०–02) कुल 02 साक्षियों** का का परीक्षण कराया गया है।

06– प्रकरण के परिक्षित साक्षी **निलेश कुमार पाल** (**अ०सा०–01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिकथित किया है कि वह आरोपीगण दुर्गेश शर्मा, सिमान्त दिक्षीत तथा सोनल शर्मा को नही पहचानता है तथा प्रार्थी शशि कुमार राय को उसके साथ इंटेक्स टेकोनलिस्ट इंडिया लि० में वर्ष 2018 में कार्यरत थे इसलिए उसे पहचानता है । घटना वर्ष 2018 की है, निश्चित तिथि उसे याद नही है। घटना दिनांक को वह और शशि कुमार राय पचपेडी नाका से महादेव घाट की तरफ शाम लगभग 05.00 बजे उनकी होण्डा जे.एस. कार में जा रहे थे, रायपुरा चौक के ब्रीज के थोडा पहले शशि कुमार राय की कार पहुंची थी तभी पीछे से आ रही बुलेट वाहन जो कि ओवरटेक कर रहा था उससे वाहन टकराई, बुलेट वाहन के चालक जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे उनके द्वारा उनकी कार के सामने लाकर अपनी वाहन को खडा कर दिया गया, जिससे उनकी गाडी को रुकना पडा, तीनो

व्यक्ति बुलेट वाहन से उतरे और उनकी गाडी को लात मारने और माँ–बहन की गाली–गलौच करने लगे, गाडी का दरवाजा खोलने के लिए कहते हुए जैसे ही शशि राय कार से बाहर निकले उनके साथ तीनो लडके हाथ–मुक्के से मारपीट करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति अपने अपने में पहने कड़े से शशि राय को मारने लगे जिसके पश्चात तीनों व्यक्ति वहां से भाग गये, जिससे शशि राय को चोट आई थी और सिर फट गया था जिससे उनका काफी खून निकल रहा था । घटना के समय उसका हाथ फ्रैक्चर था, उसके द्वारा आशिष सुंदरानी को फोन लगाया और बुलेट वाहन का फोटो खिंच कर आशीष सुंदरानी को भेज दिया था।

07– उक्त साक्षी ने आगे अभिकथित किया है कि उसे उक्त तीनों व्यक्ति का चेहरा याद नहीं है। जिसके पश्चात थाने जाकर रिपोर्ट लिखाया गया था और थाने से शशि राय को मुलाहिजा हेतु ले जाया गया था। उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस के द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई थी। जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी–01 एवं 02** को दिखाये जाने पर उक्त दस्तावेजो पर अपना हस्ताक्षर नहीं होना बताया। उसने घटना के संबंध में पुलिस को बयान दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे घटना दिनांक याद नहीं है। वह घटना कितने बजे हुयी थी निश्चित समय नही बता सकता । साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपीगणों को कौन सीमान्त है, कौन सोनल है, कौन दुर्गेश है नही बता सकता है । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके मित्र शशि राय को किसने मारा निश्चित नही बता सकता । संपूर्ण चालान के दस्तावेज थाना में तैयार किया गया था ।साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका बयान भी पुलिस वाले ने थाना में ही लिया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर पुलिस नही आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि समक्ष जप्ती की कार्यवाही भी नही हुयी थी । उसने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का समय 05–06.00 बजे बताया था। वह यह नहीं बता सकता कि किया होगा तो

इसका कारण वह नही बता सकता । पुलिस के द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट में घटना का समय 07.00 बजे लेख किया होगा तोइसका कारण वह नहीं बता सकता ।

08– साक्षी शशि कुमार राय **(अ०सा०–02)** ने अपने न्यायालयीन कथन में अभिकथित किया है कि वह आरोपी दुर्गेश शर्मा, सोनल शर्मा व सीमांत दीक्षित को पहचानता है । घटना दिनांक 21.07.2018 की शाम की लगभग 06.00 बजे के बाद महादेवघाट रोड पर घटित हुयी थी। जिसमें मोटर–सायकल बुलेट को आरोपीगण सामने में खड़ा कर दिये थे, जिसको लेकर आपस में वाद–विवाद हो गया था । जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा चौकी सिलतरा में की गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श पी 03** है, पुलिस वाले उसका मुलाहिजा करवाये थे, मुलाहिजा प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 04** है, नजरी–नक्शा **प्रदर्श पी 05** है, जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है । उक्त साक्षी ने पुलिस कथन **प्रदर्श पी०–06** का बयान देने से इंकार किया है तथा स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनका मोटर सायकल को लेकर आपस में वाद–विवाद हो गया था, उसी के कारण धक्का–मुक्की होने से वह गिर गया था, गिरने से उसे सिर में चोट आयी थी ।

09– इस प्रकार उक्त प्रार्थी के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के प्रार्थी एवं घटना के अन्य साक्षी द्वारा घटना के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं उक्त साक्षी के द्वारा व्यक्त किया गया है कि अपने बयान में अभियुक्तगण से राजीनामा होने का कथन किया गया है। जिस कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sh. Satish Mehra Vs Delhi Administration & Anr (1996) 9 SCC 766, के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि"when**

the Judge is Fairly certain that there is no prospect of the case ending in conviction the valuable time of the Court Should not be wasted for holding a trial only for the purpose of formally completing the procedure to pronounce the conclusion on a future date." अतः जहां पर प्रार्थी एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा ही घटना के संबंध में कोई कथन नहीं करने से अभियोजन विफल हो रहा हो और प्रकरण का अंत दोषसिद्ध न हो तो ऐसे प्रकरण में शेष साक्षियों के साक्ष्य लिए जाने की औपचारिकता हेतु न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी का अभियुक्त के साथ राजीनामा हो गया है और उनके मध्य कोई वाद–विवाद शेष नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी पुलिस बयान के अ से अ भाग **प्रदर्श पी०–06** का बयान देने से इंकार किया है। जिस कारण प्रार्थी के समर्थनकारी साक्ष्य न देने से अभियोजन की विफलता सुनिश्चित है। इस कारण शेष साक्षियों के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। जिस कारण से शेष साक्षियों का साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है।

10– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी **शशि कुमार राय** (अ०सा०–02) के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि प्रकरण में उनका अभियुक्त के साथ न्यायालय से बाहर राजीनामा हो गया है अभियुक्त एवं उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार मूल तत्व साबित न हो पाने से मेरे अभिमत में अभियुक्तगण **दोषमुक्ति के हकदार** है। अतः अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण को सभी संदेहों से प्रमाणित न कर पाने के कारण **अभियुक्त दुर्गेश शर्मा उर्फ सोनू, 02 सीमांत दीक्षित पिता राधाराम दीक्षित, 03. सोनल शर्मा, पिता जय शर्मा** को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा** 324 के आरोप से **"<u>दोषमुक्त कर स्वतंत्र</u>"** किया जाता है।

11– अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त गण को बंधपत्र एवं प्रतिभू को प्रतिभूति से उन्मुक्त किया जाता है।

12– अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में निष्पादित दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 437 ए** का बंधपत्र निर्णय दिनांक **छः माह** तक प्रभावशील रहेगा।

13– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक मोटर सायकल बुलेट क्रमांक सीजी 04 एलक्यू 7550 एवं वाहन का आर सी बुक सुपुर्दनामे पर है, अपील अवधि पश्चात उक्त जप्तशुदा संपत्ति सुपुर्ददार के पक्ष में भारमुक्त किया जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे तथा एक हाथ में पहने वाला कडा स्टील जैसे धातु का जिसके किनारे धारदार , गोलाकार है मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे ।

14– अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक निरोध में बितायी गयी अवधि के संबंध में **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428** के तहत पृथक से प्रमाण पत्र बनायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

स्थानः– रायपुर छ०ग०
दिनांक– 23.05.2026

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/–
(**कु० आकांक्षा बेक**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर छ०ग०

दांडिक प्रकरण क्रमांक–6699/2018
पक्षकार शासन वि० दुर्गेश शर्मा वगैरह

(प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरोध में बितायी गयी कुल अवधि	परिणाम एवं समायोजित अवधि
दुर्गेश शर्मा उर्फ सोनू, पिता जगदीश प्रसाद शर्मा	निरंक	निरंक	निरंक	दोषमुक्त
सीमांत दीक्षित, पिता राधाराम दीक्षित	निरंक	निरंक	निरंक	दोषमुक्त
सोनल शर्मा, पिता जय शर्मा	निरंक	निरंक	निरंक	दोषमुक्त

सही/–

स्थानः– रायपुर छ०ग०
दिनांक–23.05.2026

(कु० आकांक्षा बेक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला रायपुर छ०ग०